

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

सं०-05स्था-95/2010 (खंड)

पटना, दिनांक

अधिसूचना

जिला पदाधिकारी जहानाबाद से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री हरेन्द्र राम, वरीय उप समाहर्ता जहानाबाद को, जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद का पदभार दिनांक 21.01.2013 के अपराहन से ग्रहण करने के फलस्वरूप मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी जहानाबाद के कार्य सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
ह०/-

प्रधान सचिव,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

709

दिनांक-28/2/2013

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना, राजकीय राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, गंगा/जिला पदाधिकारी, जहानाबाद/श्री हरेन्द्र राम, वरीय उप समाहर्ता-सह-जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद/संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, गया, मोटरयान निरीक्षक, जहानाबाद/माननीय मंत्री परिवहन के आप्त सचिव/प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/आई.टी.मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग एवं स्थापना शाखा, परिवहन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1  
28/2/13

प्रधान स.वेव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।